

18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

18

समक्ष : आर०के० मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4224—दो/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 14—9—2012
पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक—
55/अ—6—अ/2009—10.

1. रामाश्रय तनय राखेलावन केवट
2. इन्द्रभान तनय राखेलावन केवट
3. रामबहोर तनय राखेलावन केवट
4. रामभान तनय राखेलावन केवट(मृत) वारिसान—
(अ) सुकबरिया पत्नी रामभान
(ब) शिव प्रसाद तनय स्व० रामभान
(स) शिवकुमार उर्फ लोले तनय रामभान
(इ) कौरी पुत्री स्व० रामभान

सभी निवासी ग्राम परसौना तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०

-----आवेदकगण

विरुद्ध

1. बुद्धसेन तनय जोखू केवट
2. बृजभान तनय रामकृपाल केवट
3. रमेश तनय रामकृपाल केवट
4. परमेश्वर तनय रामकृपाल केवट
5. रजुआ पुत्री सुकबरिया पत्नी प्रेमलाल केवट
निवासी ग्राम बरहदी, तहसील रायपुरक कचु०
जिला रीवा म०प्र०

-----अनावेदकगण

श्री मोरध्वज सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अमिताब चर्तुवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

आ दे श

(आज दिनांक 13/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में
केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला रीवा के
आदेश दिनांक 14—9—2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

W

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार रायपुर कर्चलियान के समक्ष ग्राम बरहदी प0ह0 नं0 बरही तहसील स्थित आरा0 नं 2091 रकवा 3.237 है0 भूमि पर वर्ष 2003-04 व 2004-05 में अनावेदकगण का विधि विरुद्ध भूमिस्वामी के कालम नं0 3 में भूमिस्वामी दर्ज करने का आवेदकगण का 1/4 हिस्से का इन्द्राज निरस्त करने बावत प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 49/अ-27/05-06 में पारित आदेश दिनांक 31-8-07 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्च0 जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-10-09 के द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्त्तित किया कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का कर अभिलेख का परीक्षण कर आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 14-9-2012 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 में प्रतिनिगरानीकर्ता का नाम सहभूमिस्वामी के रूप में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किया गया। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से अवैध भूमिस्वामी इन्द्राज को निरस्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसर पर विचारण न्यायालय द्वारा बिना विचार किये निरस्त करने में त्रुटि की। बिना किसी आदेश के भू-अभिलेख में किये गये परिवर्तन का परीक्षण किया जाना चाहिए जो कि विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। राजस्व न्यायालय को भू-अभिलेख को अद्वतन रखने का दायित्व होता है। राजस्व अभिलेख में यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तब वह स्वतः भी त्रुटि को सुधार कर सकता है। तहसील न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में इन

बिन्दुओं पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया था वह अनुचित होने से निरस्त योग्य था। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का कर अभिलेख का परीक्षण कर आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेशों की पुष्टि, जो अपर कलेक्टर द्वारा की गई है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 14-9-2012 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 जिला रीवा का आदेश दिनांक 27-10-2009 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(आरो~~को~~ मिश्रा) 13) ४१८

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्य देश,
ग्वालियर